रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-30072020-220774 CG-DL-E-30072020-220774

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2234] No. 2234] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 30, 2020/श्रावण 8, 1942 NEW DELHI, THURSDAY, JULY 30, 2020/SHRAVANA 8, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2020

का.आ. 2528(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 138 की उपधारा (1) के खण्ड (क) की उपखंड (ii) के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतदद्वारा महानिदेशक/सचिव, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को उक्त खंड के प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट करती है।

- 2. यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिसूचना संख्या का.आ.सं. 731 (अ) दिनांक 28 जुलाई, 2000 में यथा विनिर्दिष्ट आयकर प्राधिकारी
 - (i) यह मत बनाने के बाद केवल संगत तथा महत्वपूर्ण सूचना प्रस्तुत करेगा कि ऐसी सूचना का प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है ताकि उपरोक्त अधिसूचित प्राधिकारी इसके द्वारा प्रशासित किए जा रहे कानून के अंतर्गत अपने कार्यों का निष्पादन करने में सक्षम हो सके; तथा
 - (ii) इस अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जा रहे प्राधिकारी को प्रस्तुत की जा रही सूचना के बारे में पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने के लिए संप्रेषित करना।

[अधिसूचना सं. 57 /2020/फा. सं. 225/98/2019-आईटीए-II]

राजाराजेश्वरी आर..अवर सचिव

3410 GI/2020 (1)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 2020

- **S.O. 2528(E).**—In pursuance of sub-clause (ii) of clause (a) of sub-section (1) of section 138 of the Income-tax Act, 1961, the Central Government hereby specifies **Director General / Secretary, Competition Commission of India** for the purpose of said clause.
- 2. It is clarified that income-tax authority, as specified in Notification No. S.O. No. 731(E) dated 28.07.2000, shall-
 - (i) furnish only relevant and precise information after forming an opinion that furnishing of such information is necessary so as to enable the above notified authority to perform its functions under the law being administered by it; and
 - (ii) convey to the authority being specified *vide* this notification to maintain absolute confidentiality in respect of information being furnished.

[Notification No. 57/2020/F. No. 225/ 98/2019-ITA-II]

RAJARAJESWARI R., Under Secy.